विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2020/1317 दिनांक : 19.10.2020.

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
सांई सोहम शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति,
25, दौलत गंज,उज्जैन(म.प्र.)।

विषय :- सत्र 2020-21 में नवीन महाविद्यालय "इन्द्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, देवास को एम.बी.ए.(सामान्य) पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :-(1) समिति का पत्र क्रमांक/SSSSVS/Dewas/REG/2020-21/267,Date 04.09.2020,
(2) समिति का पत्र क्रमांक/SSSSVS/Dewas/REG/2020-21/268,Date 08.09.2020,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि, अकादमिक सत्र 2020-21 हेतु नवीन महाविद्यालय इन्द्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज,देवास हेतु एम.बी.ए.(सामान्य)- प्रथम वर्ष की सम्बद्धता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तुत सम्बद्धता आवेदन को विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22.09.2020, में प्रस्तुत किया गया,जिसमें लिये निर्णयानुसार महाविद्यालय को पत्र क्रमांक/अकादमिक/ सम्बद्धता/2020/1293,दिनांक 14.10.2020 जारी किया गया। जिसकी समिति द्वारा पत्र क्रमांक/INDRA/2020/356, एवं 308, दिनांक 14.10.2020,प्रस्तुत किया जा कर प्रतिपूर्ति की गई।

समिति द्वारा की गई प्रतिपूर्ति एवं प्रस्तुत दस्तावेजों आलोक में, माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदनोपरांत एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्(ए.आई.सी.टी.ई.) नई दिल्ली के अनुकूल पत्र क्रमांक/ F.No.Central/2020-21/1-7527066821,Date 30 Jun 2020, तथा काउंसिलिंग समिति संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांकः04/शैक्ष./जी/2020/काउं./701,दिनांक 29.08.2020, के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर निम्न विवरणानुसार अस्थाई सम्बद्धता अकादमिक **सत्र 2020-21** में प्रदान की जाती है :-

क्रं.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	इन्द्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ग्राम-अमर पुरा, जिला-देवास।	एम.बी.ए.-प्रथम वर्ष (सामान्य)	120

शर्ते :- निम्नानुसार शर्तो की पूर्ति दो माह में करना सुनिश्चित करें :-

01. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकीय तथा गैर शिक्षकीय स्टॉफ का चयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
02. परिनियम क्रमांक 28 के भाग 02 का बिन्दु 3 के उपबिन्दु 3(1)(ए) के प्रावधानानुसार एंडोमेट फण्ड की राशि रू. 1,00,000/-(अक्षरी रूपये एक लॉख मात्र) की एफ.डी.आर.(कुलसचिव विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन एवं प्राचार्य महाविद्यालय) के संयुक्त नाम से बनवाकर विश्वविद्यालय में जमा करावे।
03. प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुक्रम में पूर्व वर्षो की बकाया राशि तीन माह में जमा करना सुनिश्चित करें।
04. शेष सामान्य शर्ते परिनियम क्रमांक 27 एवं 28 के अनुसार रहेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के पश्चातवर्ती आदेश/निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

नोट :- उपरोक्तानुसार शर्तो की पूर्ति समयावधि में पूर्ण न करने पर महाविद्यालय को आगामी सत्र में द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता प्रकरण पर विचार नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी महाविद्यालय की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2020/ 1314 //2// दिनांक : 19.10.2020.

प्रतिलिपि :-

01. निदेशक,इन्द्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज,ग्राम–अमरपुरा, जिला–देवास।
02. सदस्य सचिव,अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नेल्सन मंडेला मार्ग,वसंत कुंज,नई दिल्ली।
03. अध्यक्ष/सचिव, काउंसलिंग समिति, संचालनालय, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश,टैगोर छात्रावास, क्रमांक टी–2,श्यामला हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश–462002
04. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
05. प्राचार्य, शा.के.पी.स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,देवास।
06. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय, विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
07. समन्वयक, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
08. प्रभारी पोर्टल,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन की ओर प्रेषित कर सूचित है कि,उपरोक्त पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
09. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

उपकुलसचिव(अकादमिक)